पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०-09/2017 298

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक), राँची/हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता -सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 21-03-18

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2017-18** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉंग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य/	800-अन्य व्यय/ 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण/ 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49**S**470180800460545	**164.66**

आवंटित राशि -₹ एक करोड़ चौसठ लाख छियासठ हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2017-18** के संशोधित बजट उपबंध राशि **रू० 1710.00 लाख (सतरह करोड़ दस लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 एवं 2747/वि०, दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(आर०एस० तिग्गा) अभियंता प्रमुख

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2018 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No / Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 298 रॉची, दिनांक :– 21-03-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/हजारीबाग/तेनुघाट/देवघर/दुमका/मेदिनीनगर/गढ़वा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 298 राँची, दिनांक :– 21-03-18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(आर०एस० तिग्गा) अभियंता प्रमुख	**(डी०के० तिवारी)** **अपर मुख्य सचिव**

विभागीय पत्रांक......298...... दिनांक ....21-03-18 का अनुलग्नक

परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय
उप शीर्ष – 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, 49**S**470180800460545

वित्तीय वर्ष 2017–18 में संशोधित बजट उपबंध 1710.00 लाख (सतरह करोड़ दस लाख) रूपये मात्र। **(राशि लाख ₹ में)**

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF56)	यॉंत्रिक	पगला वीयर योजना एवं हरणा वीयर योजना (उत्तर) के शीर्ष नियामक एवं त्रियक नियामक गेटों का यॉंत्रिक कार्य	62/16–17 प्र०स्वी० दिनांक–28.11.2016	68.640	3.18	0.00	18.00	18.00	105848	Renovation of C/R & H/R gates at Head Works of Pagla Weir Scheme (AA Rs.23.56 Lakh Only)
						0.00	0.00	40.20	40.20		Renovation of C/R & H/R gates at Head Works site of Harna Weir Scheme (North) (AA Rs. 45.08 lakh only)
			सुन्दर जलाशय योजना के डेम आउटलेट का दोनों गेटों का जीर्णोद्धार कार्य	07/17–18 प्र०स्वी० दिनांक–26.04.2017	27.080	0.00	0.00	24.30	24.30	105850	Special Repair of Dam Outlet Gates of Sunder Reservoir Scheme
						योग	**0.00**	**82.50**	**82.50**		
2	तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट (BKRIRR002)	हजारीबाग	तेनु–बोकारो नहर तेनुघाट के 27 कि०मी० के पास करणडीह ग्राम के निकट पुल का निर्माण कार्य	11/17–18 प्र०स्वी० दिनांक–25.05.2017	29.869	0.00	0.00	20.68	20.68	105849	Construction of SLR Bridge at Ch. 896.00 near village Karandih of Tenu-Bokaro Canal of Tenughat Dam Division, Tenughat
						0.00	0.00	9.18	9.18		, Construction of Guard Wall at Ch. 896.00 to 900 near village Karandih of Tenu-Bokaro Canal under Tenughat Dam Division, Tenughat
						योग	**0.00**	**29.86**	**29.86**		
3	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004)	मेदिनीनगर	चिरका मुख्य नहर से निसृत डोल वितरणी को आगुमेन्टेशन हेतु धनकुट्टी नाला पर वियर बनाने एवं लिंक चैनल के निर्माण	20/09–10 प्र०स्वी० दिनांक 03.03.2010	498.000	418.840	0.00	27.30	27.30	**105852**	धनकुट्टी जल संवर्द्धन योजना (कराये गये कार्यों के विरूद्ध भुगतान)
						योग	**0.00**	**27.30**	**27.30**		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे) 16/03/18
विशेष सचिव

(आर०एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, 49S470180800460545

वित्तीय वर्ष 2017–18 में संशोधित बजट उपबंध 1710.00 लाख (सतरह करोड़ दस लाख) रूपये मात्र। (राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	दुमका जिलान्तर्गत पगला वीयर योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु	28/15–16 प्र०स्वी० दिनांक 10.09.2015	400.600	115.48	125.00	55.00	180.00	**105854** **105855**	पगला वीयर योजना का पुर्नस्थान कार्य (कृत कार्य के विरूद्ध अधियाचना प्राप्त)
						योग	**125.00**	**55.00**	**180.00**		
5	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF59)	देवघर	दरूआ वीयर योजना के मुख्य नहर के चेन सं०–0.00 से 575.00 तक के पुर्नस्थापन कार्य	82/13–14 दिनांक 21.02.2014	280.296	209.78	30.00	-30.00	0.00	**28313**	दरूआ वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य (विभागीय उड़नदस्ता द्वारा जाँच की प्रक्रिया में)
						योग	**30.00**	**-30.00**	**0.00**		
						कुल योग	**155.00**	**164.66**	**319.66**		

आवंटित राशि –₹ एक करोड़ चौसठ लाख छियासठ हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

298
21-03-18

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव
16/03/18

(आर०एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव